

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-अप्रैल,मई,जून,2022

स्थापना आदेश,परिपत्र,निविदा फॉर्म आदि

कुल - 24 [स्थापना आदेश-24]

स्थापना आदेश-सं.39 से 63 तक (54 जारी नहीं हुआ) कुल -24

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई
1	आदेश सं- 39/2022	07.04.2022	अनुवाद किया गया
2	आदेश सं- 40/2022	07.04.2022	अनुवाद किया गया
3	आदेश सं- 41/2022	04.05.2022	अनुवाद किया गया
4	आदेश सं- 42/2022	06.04.2022	अनुवाद किया गया
5	आदेश सं- 43/2022	07.04.2022	अनुवाद किया गया
6	आदेश सं- 44/2022	19.04.2022	अनुवाद किया गया
7	आदेश सं- 45/2022	18.04.2022	अनुवाद किया गया
8	आदेश सं- 46/2022	22.04.2022	अनुवाद किया गया
9	आदेश सं- 47/2022	28.04.2022	अनुवाद किया गया
10	आदेश सं- 48/2022	10.05.2022	अनुवाद किया गया
11	आदेश सं- 49/2022	10.05.2022	अनुवाद किया गया
12	आदेश सं- 50/2022	13.05.2022	अनुवाद किया गया
13	आदेश सं- 51/2022	13.05.2022	अनुवाद किया गया
14	आदेश सं- 52/2022	31.05.2022	अनुवाद किया गया
15	आदेश सं- 53/2022	06.06.2022	अनुवाद किया गया
	आदेश सं- 54/2022		जारी नहीं हुआ
16	आदेश सं- 55/2022	24.06.2022	अनुवाद किया गया
17	आदेश सं- 56/2022	29.06.2022	अनुवाद किया गया
18	आदेश सं- 57/2022	28.06.2022	अनुवाद किया गया
19	आदेश सं- 58/2022	24.06.2022	अनुवाद किया गया
20	आदेश सं- 59/2022	24.06.2022	अनुवाद किया गया
21	आदेश सं- 60/2022	29.06.2022	अनुवाद किया गया
22	आदेश सं- 61/2022	29.06.2022	अनुवाद किया गया
23	आदेश सं- 62/2022	29.06.2022	अनुवाद किया गया
24	आदेश सं- 63/2022	30.06.2022	अनुवाद किया गया

स्थापना परिपत्र - 1 - 8/2022 दिनांक 06.05-2022
अनुवाद किया गया



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/9/2021 – Estt.

दिनांक :29.06.2022

आदेश सं.:63/2022

विषय : कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नेडुम्बाशेरी में वायु सीमा शुल्क अधीक्षक की तैनातियां - संबन्धित।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के केंद्र में निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं तैनाती का आदेश इस के साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	..से	..को
1	एस ए मधु	एर्णाकुलम रेंज -2,कोच्चि	कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी

- उक्त अधिकारियां अपने नए तैनात स्थान पर कार्यग्रहण करने की तारीख से 2 (दो) वर्षों के लिए कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी में तैनात हैं।
- कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नेडुम्बाशेरी में वायु सीमा शुल्क अधीक्षक के रूप में चयन और तैनाती के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं :
 - विमान पत्तन पर तैनात अधिकारी समय-समय पर उनके लिए स्वीकार्य दरों पर वेतन और भत्ते लेने के पात्र होंगे।
 - उसे विमान पत्तन पर प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ता उसके लिए स्वीकार्य नहीं है।
 - आमतौर पर, विमान पत्तन पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 (दो) वर्ष है। हालाँकि, विमान पत्तन पर कार्यरत एक अधिकारी को बिना किसी कारण बताए 2 (दो) वर्ष पूरा होने से पहले वापस किया जा सकता है।
 - विमान पत्तन पर तैनात अधिकारी को अपनी आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 - अधिकारी नियमों के तहत स्वीकार्य वर्दी और आहार भत्ता पाने के हकदार होंगे।
 - उच्चतर श्रेणी में उसकी पदोन्नति होने की स्थिति में, अधिकारी को अपने मूल आयुक्तालय में वापस लाया जा सकता है या इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
 - आदेशानुसार उसे अपने नए स्थान में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैनाती आदेश को रद्द समझा जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र की मंजूरी से जारी किया गया है ।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि समर्पित :

1) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रातिलिपि

1. सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन
2. उप /सहायक आयुक्त, एर्णाकुलम मंडल
3. सीमा शुल्क उप /सहायक आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नेडुम्बाशेरी
4. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीमा शुल्क निवारक, केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन / सीमा शुल्क गृह, कोचिन
5. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोचिन/ एर्णाकुलम मंडल/ सीमा शुल्क गृह, कोचिन
6. अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता), केन्द्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / सीमा शुल्क गृह, कोचिन
7. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
8. महासचिव, एआईएससीटी



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2022-ESTT

दिनांक: .06.2022

आदेश सं.: 62/2022

विषय : केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेड हवलदार के केंद्र में स्थानांतरण और तैनातियां, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित ।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार के केंद्र में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश इस के साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है ।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय	को तैनात
1	शाजी एस., हेड हवलदार	8517	इडुक्की मंडल	मु., कोच्चि
2	थॉमस जैक्सन एम जे., हेड हवलदार	8551	मु., कोच्चि	काक्कनाड मंडल

- उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यमुक्ति देनी चाहिए और वे अपने नए तैनात स्थान पर दिनांक 08.07.2022 तक कार्यग्रहण करना चाहिए ।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 तक मिलनी चाहिए ।

मेंतिल

[पी सेंटिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में

सम्बन्धित व्यक्तियाँ [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

- सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड/इडुक्की मंडल
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ काक्कनाड/इडुक्की मंडल
- अधीक्षक(सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-Estt

दिनांक: .06.2022

आदेश सं.: 61 / 2022

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैंडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित ।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	नौषाद पी एच	7514	(यूबी,करिपूर), सीमा शुल्क निवारक आयुक्त,कोचिन	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(इडुक्की मंडल)
2.	निष्कर्ष शर्मा	9159	सीसीओ -सीसीए	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(मु.अपवंचनरोधी इकाई)
3.	प्रशांत चौधरी	9150	(विमान पत्तन, ट्रिवेनड्रम),सीमा शुल्क निवारक आयुक्त,कोचिन	सीसीओ -सीसीए
4.	जज़ील एम सी	-	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(मु.जन सूचना अधिकार)	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(मु.जन सूचना अधिकार के अतिरिक्त प्रभार के साथ मु जन संपर्क अधिकारी इकाई)
5.	जितेन माली	-	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.के अधीन	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय(मु.सत्यापन कक्ष)

- उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 05.07.2022 तक अपने नए तैनात स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए।
- नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।
- अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
5. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 08.07.2022 तक मिलनी चाहिए ।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम /इडुक्की मंडल
7. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीसीपी
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीसीपी/ इडुक्की मंडल
9. अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता) तिरुवनंतपुरम /कोच्चि /कोयिक्कोड/ /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. महा सचिव, एआईसीईआईए, केरल सर्किल



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020- ESTT.

दिनांक: 28.06.2022

आदेश सं.: 60/2022

विषय : अधीक्षक के केंद्र में स्थानान्तरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं तैनातियों के आदेश इस के साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	एम सुरेश कुमार		सी सी ओ-सी सी ए	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय(कट्टप्पना रेंज)
2.	बिजु एम आर	1465	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय(इडुक्की मंडल)	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय(एर्णाकुलम रेंज -2)
3.	शशिकुमार पी	8417	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय(मुन्नार रेंज के अतिरिक्त प्रभार के साथ कट्टप्पना रेंज)	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय(मुन्नार रेंज)
4.	थॉमस सी जे		यूएलसीसीएस एसईजेड,कोयिक्कोड	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्तालय(मु.)
5.	पॉल वी के	8016	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय(त्रिशूर मंडल)	सी सी ओ-सी सी ए

- उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 05.07.2022 तक अपने नए तैनात स्थान में कार्यग्रहण करना है ।
- नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।
- अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।
- यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 08.07.2022 तक मिलनी चाहिए ।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
6. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इडुक्की मंडल
7. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/इडुक्की मंडल
9. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/
कोच्चि/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीसीपी
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. महा सचिव, एआईएएससीटी, केरल सर्किल



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

दिनांक : 24.06.2022

आदेश सं.: 59/2022

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 4/2022 दिनांक 11.01.2022 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तन का आदेश दिया जाता है:


2. श्री जॉर्ज जोसफ, सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि सीआरयू और राजभाषा को छोड़कर उन सभी प्रभारों को संभालेंगे जो श्री एस.सुरेश, सहायक आयुक्त द्वारा संभाले गए थे। श्री हरिसण एंटोणी, उप आयुक्त को राजभाषा, लेखा परीक्षा के प्रभार और मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती सी टी बिंदु, उप आयुक्त को सिस्टम्स, जीएसटी कक्ष और सीआरयू के प्रभार सौंपा गया है। श्री रॉय वर्गीस, सहायक आयुक्त को आधारीक संरचना, कल्याण और खेल के प्रभार सौंपा गया है।

इसके अलावा केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अपर आयुक्त द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 13/2022 (DGHRD/AC-DC/65/2022) दिनांक 23.06.2022 के अनुसार, श्रीमती शांति वी, उप आयुक्त को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आलुवा मंडल का प्रभार आवंटित किया गया है और श्रीमती अजिता पी, सहायक आयुक्त को काक्कनाड मंडल का प्रभार आवंटित किया गया है।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	जॉर्ज जोसफ	प्रशासन, का. व सत., अपवंचनरोधी, मु व मुकदमा	सी.टी. बिंदु	शांति वी.
2	शांति वी	आलुवा मंडल, तकनीकी, संसद	हारिसण एंटोणी	सी.टी. बिंदु

		प्रश्न, डीजीएआरएम, आरएफडी एवं सांख्यिकी		
3	हारिसण एंटणी	विधिक, लेखा परीक्षा, सूचना अधिकार(सीपीआईओ), प्रशिक्षण, राजभाषा कार्यान्वयन एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार	जॉर्ज जोसफ	सी.टी. बिंदु
4	सी.टी. बिंदु	न्यायनिर्णयन, समीक्षा, बकाया वसूली, एसवीएलडीआरएस,सिस्टम्स,जी एस टी कक्ष एवं सी आर यू	शांति वी	हारिसण एंटणी
5	अनिल राज आर	एर्णाकुलम मंडल	अजिता पी	माया कुरियन
6	अजिता पी	काक्कनाड मंडल	अनिल राज आर	शांति वी
7	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
8	दीपक कुमार	त्रिशूर मंडल	माया कुरियन	एन.एस. जयश्री
9	एन. एस. जयश्री	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	दीपक कुमार
10	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल	एन. एस. जयश्री	अजिता पी.


 [मनीष कुमार]
 आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt

दिनांक : 24.06.2022

आदेश सं.: 58/2022

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश सं. 20/2022 दिनांक 19.01.2022 के आंशिक संशोधन में केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच में कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश इस के साथ दिया जाता है।

2. डीजीएआरएम के प्रभार को छोड़कर, श्री एस.वीरमुत्तु, संयुक्त आयुक्त द्वारा धारण किए गए प्रभारों को श्री शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त संभालेंगे। न्यायनिर्णयन के साथ-साथ पेरुम्बावूर और चालक्कुडी मंडलों का पर्यवेक्षण और इन मंडलों के सभी लिगेसी कार्य भी श्री शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त को सौंपा गया है। श्री जे. हरीश, संयुक्त आयुक्त को डीजीएआरएम का प्रभार सौंपा गया है।

3. तदनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्त के बीच संशोधित कार्य आवंटन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	मुख्यालय निवारक, मुकदमा, जन संपर्क, खेल, जीएसटी कक्ष, आधारीक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, इडुक्की केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल का पर्यवेक्षण, इस मंडल के न्यायनिर्णयन तथा लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।	पी सेंटिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
2	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), समीक्षा, जीएसटी सेवा केंद्र,	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	पी सेंटिल कुमार, संयुक्त आयुक्त

		चालक्कुडी एवं पेरुम्बावूर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य । आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।		
3	पी सेंटिल कुमार, संयुक्त आयुक्त	स्थापना, प्रशासन, कार्मिक, सीआरयू, भविष्य निधि, सतर्कता, राजभाषा, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, लेखा, सी पी ग्रामस, सत्यापन कक्ष, त्रिशूर और काक्कनाड केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त
4	जे हरीश, संयुक्त आयुक्त	विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण, तकनीकी, सांख्यिकी, संसद प्रश्न, आरएफडी, न्यायनिर्णयन कक्ष, डीजीएआरएम, आलुवा और एर्णाकुलम केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त


 [मनीष कुमार]
 आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
 प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail:cexcochi@nic.in Fax:0484-2390608 Phone:0484 2390404
दिनांक: 23.06.2022
GEXCOM II/3/46/2021-Estt

आदेश सं.: 57/2022

विषय : आशुलिपिक ग्रेड-I के संवर्ग में अनंतिम आवंटन का नियमितीकरण-संबन्धित।

बोर्ड के पत्र फा.सं.ए.12034/SSC/15/2017-Ad. III(B) दिनांक 07.06.2022 के अनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के लिए दिए गए निम्नलिखित ग्रेड-I आशुलिपिक के अनंतिम आवंटन को एतद्वारा नियमित माना जाता है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति आदेश सं.तारीख सहित	वर्तमान तैनात स्थान
1.	ओमकार सिंह	आदेश सं.76/2020 दिनांक 11.10.2021	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त,कोच्चि

प्रति :

1. अधीक्षक (मु.सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि- वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS



आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484 2390404
GEXCOM II/3/3/2020-Estt दिनांक: 23.06.2022

आदेश सं.: 56/2022

विषय : आशुलिपिक ग्रेड-II के संवर्ग में अनंतिम आवंटन का नियमितीकरण-संबन्धित।

बोर्ड के पत्र फा.सं.ए.12034/SSC/15/2017-Ad. III(B) दिनांक 07.06.2022 के अनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के लिए दिए गए निम्नलिखित ग्रेड-II आशुलिपिकों के अनंतिम आवंटन को एतद्वारा नियमित माना जाता है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति आदेश सं.तारीख सहित	वर्तमान तैनात स्थान
1.	दीपक कुमार	आदेश सं.76/2020 दिनांक 25.08.2020	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
2.	आशीष कुमावत	आदेश सं.77/2020 दिनांक 26.08.2020	कोच्चि आयुक्तालय
3.	रेणु यादव	आदेश सं.78/2020 दिनांक 27.08.2020	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन
4.	अंकित कुमार	आदेश सं.25/2021 दिनांक 17.02.2021	कोच्चि आयुक्तालय

संतिल

[पी.संतिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)
प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम
- सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि

प्रति :

- अधीक्षक (मु.सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि- वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-Estt

दिनांक: 22.06.2022

आदेश सं.: 55 / 2022

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के केंद्र में
स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित ।

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) ने केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	जितेन माली	10.09.1991	सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	नीरज कुमार पाल	25.09.1989	सीजीएलई 2018 - नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
3.	परदीप कुमार	20.03.1991	सीजीएलई 2012 अतिरिक्त आवंटन- नई भर्ती	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

- उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल अपने नए तैनात स्थान पर कार्यग्रहण करना चाहिए ।
- नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।
- अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 तक मिलनी चाहिए ।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक / लेखा परीक्षा ,कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021- ESTT.

दिनांक: 06.06.2022

आदेश सं.: 53/2022

विषय : अधीक्षक के केंद्र में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित ।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल में भारी कार्यभार के मद्देनजर तथा 'प्रोजेक्ट साधित 2.0' के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि ने केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों के आदेश को तत्काल प्रभाव से दिये हैं।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	...को
1.	एंटणी पी ओ	5	चालक्कुडी मंडल	एर्णाकुलम मंडल
2.	लता जी	1136	काक्कनाड मंडल	एर्णाकुलम रेंज 1
3.	एस ए मधु	70	मुख्यालय जन संपर्क अधिकारी अनुभाग, कोच्चि	एर्णाकुलम रेंज 2
4.	पद्मराजन नम्बियार सी	1515	पेट्रोलियम उत्पाद रेंज	एर्णाकुलम रेंज 4
5.	जोषुआ के आई	380	पेरुम्बावूर मंडल	एर्णाकुलम रेंज 5
6.	जस्टिन जे	2496	सूचना अधिकार /प्रशिक्षण, मु.कोच्चि (मुख्यालय जन संपर्क अधिकारी अनुभाग,कोच्चि में अतिरिक्त प्रभार)	मुख्यालय जन संपर्क अधिकारी अनुभाग,कोच्चि(सूचना अधिकार /प्रशिक्षण, मु.कोच्चि में अतिरिक्त प्रभार)

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यभार से मुक्ति देनी है ।

3. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

4. अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदनों नहीं लिया जाएगा ।

5. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 तक मिलनी चाहिए ।

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

प्रति

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

दिनांक: 27.05.2022

आदेश सं.: 52/2022

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को इस के साथ, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स 8वीं स्तर में, गुपबी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक पदोन्नत किया गया है।

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	5510	आशा गिरी	21.05.1974	तदर्थ आधार पर
2	9057	रामचंद्रन एम के	01.05.1967	तदर्थ आधार पर (कार्यवाहक क्षमता में)
3	8113	जयंत बिस्वस (अ.जा.)	05.02.1975	तदर्थ आधार पर

2. पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 01.06.2022 को या उसके बाद और दिनांक 08.06.2022 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

3. क्रमांक 2 में उल्लिखित अधिकारी को कार्यवाहक क्षमता में अधीक्षक के पद पर तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उसके कनिष्ठ को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद उस नए पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में माना जाएगा।

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT) सं. 4305/2011, OP(CAT) सं. 999/2012, OP(CAT) सं. 998/2012, OP(CAT) सं. 968/2012, कैट (ई.बी.) में OA सं. 180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबन्धित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No. 20810/ 2012 के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/ले.प./सीसीपी
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), मु.कोच्चि
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), मु.सीसीपी
9. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/ ले.प./सीसीपी
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT.

दिनांक: 12.05.2022

आदेश सं.: 51/2022

विषय : अधीक्षक के केंद्र में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानान्तरण और तैनाती का आदेश इस के साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	संदीप उणिक्कृष्णन	4564	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.के अधीन	आम्बल्लूर रेंज, चालक्कुडी मंडल

2. उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थान में दिनांक 20.05.2022 तक कार्यग्रहण करना चाहिए।

3. नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बादही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

4. अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 तक मिलनी चाहिए।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चालक्कुडी मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक(सत./गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमें अपलोड करने हेतु।
6. महासचिव, एआईएससीटी, केरल इकाई



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

दिनांक: 12.05.2022

आदेश सं.: 50/2022

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी जो अस्थायी रूप से 'साधित' परियोजना के तहत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैनात हैं, इस के द्वारा उनके मूल तैनात स्थान पर वापिस पदस्थान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	...को
1.	जयश्री पी	8482	न्यायनिर्णयन अनुभाग, मु.कोच्चि	तकनीकी अनुभाग, मु.कोच्चि

- उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थान में तत्काल कार्यग्रहण करना चाहिए।
- नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 तक मिलनी चाहिए।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

- मु.कोच्चि के तकनीकी /न्यायनिर्णयन अनुभागों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि
- अधीक्षक(सत. /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमें अपलोड करने हेतु।
- महासचिव, एआईएससीटी, केरल इकाई



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS



आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/59/2021-Estt.

दिनांक: 10.05.2022

आदेश सं. : 49/2022

विषय: निम्न श्रेणी लिपिक के कैडर में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हवलदारों को इसके साथ निम्न श्रेणी लिपिक के कैडर में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित नए वेतन मेट्रिक्स में लेवल -2 में रु.19,900 -63,200 वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	राकेश के आर	9869	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय
2	सब्ना टी एस	9846	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय
3	हरिकृष्णन ए आर	9852	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय

2. पदोन्नत अधिकारी दिनांक 20.05.2022 को या उसके पहले पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. नियंत्रण अधिकारियान संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 25.05.2022 तक भेज देनी चाहिए।

सं. मिल

[पी.संतिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
- आयुक्त, , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।

प्रति :

- संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल।
- अधीक्षक (सत./ ई डी पी/मु.), हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
- मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT

दिनांक : 05.2022

स्थपाना आदेश सं.: 48/2022

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2012'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 28.04.2022 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 14.02.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री परदीप कुमार को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (₹.44,900- ₹.1,42,400) में दिनांक 29.03.2022 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री परदीप कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री परदीप कुमार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री परदीप कुमार,
सुपुत्र श्री रामफल,
वीपीओ -कलवा, पाना-खानु,
तहसिल -सफीडॉन,जिला -जिंद
हरयाणा - 126113

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिककोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइलसं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

दिनांक: 28.04.2022

आदेश सं.:47/2022

विषय : केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, गुपबी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	8445	दिनेश एम	21.12.1972	तदर्थ आधार पर
2	8502	रेशमी आर	20.05.1970	तदर्थ आधार पर (कार्यवाहक क्षमता में)

2. पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 01.05.2022 को ही या उसके बाद ही और दिनांक 09.05.2022 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

3. क्रमांक 2 में उल्लिखित अधिकारी को कार्यवाहक क्षमता में अधीक्षक के पद पर तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उसके कनिष्ठ को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, जिसके बाद उस नए पदोन्नत अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में माना जाएगा।

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT)सं.968/2012, कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबन्धित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/ले.प./सीसीपी
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), मु.कोच्चि
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), मु.सीसीपी
9. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/ ले.प./सीसीपी
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT

दिनांक: 22.04.2022

आदेश सं. : 46 / 2022

विषय: सहायक उप-निरीक्षक(शस्त्र) के केडर में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हविलदार को इस के साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक उप निरीक्षक(शस्त्र) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	रफीक एस ए	3126	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोचिन

2. अधिकारी को दिनांक 29.04.2022 तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे सुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारी /सम्बंधित अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

शंतिम

[पी.संतिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

- मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा,कोच्चि/ अपील,कोच्चि
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (गोप.सत.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु
6. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह ग अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/18/2020-Estt.

दिनांक : 18.04.2022

आदेश सं.: 45/2022

विषय : निम्न श्रेणी लिपिक /कर सहायक के कैडरों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

निम्न श्रेणी लिपिक /कर सहायक के कैडरों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश इसके साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	श्रीजित के वी निम्न श्रेणी लिपिक	3572	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.के अधीन	काक्कनाड़
2.	राहुल टी राज निम्न श्रेणी लिपिक	8881	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.के अधीन	प्रशासन अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	जूली मीना कर सहायक	-	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.के अधीन	सेखा(वेतन बिल) अनुभाग, मु.कोच्चि
4.	नोएल जियो बिनोय कर सहायक	-	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.के अधीन	सत्यापन इकाई, मु.कोच्चि

संतिल

[पी.संतिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति :

1. उप आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड़ मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स/हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT

दिनांक: 18.04.2022

आदेश सं. : 44 / 2022

विषय: सहायक उप-निरीक्षक(शस्त्र) के केडर में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हविलदार को इस के साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक उप निरीक्षक(शस्त्र) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	प्रसन्नकुमार	3138	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि

2. अधिकारी को दिनांक 26.04.2022 तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारी /सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 29.04.2022 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

संतिल

[पी.संतिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बन्धित व्यक्ति (सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिककोड / तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा,कोच्चि/ अपील,कोच्चि
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड
3. अधीक्षक (गोप.सत.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु
6. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह ग अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/18/2020-Estt.

दिनांक: 07.04.2022

आदेश सं.: 43/2022

विषय : निम्न श्रेणी लिपिक /कर सहायक के कैडरों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

निम्न श्रेणी लिपिक /कर सहायक के कैडरों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इसके साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	सयोना अगस्टिन निम्न श्रेणी लिपिक	8620	पदोन्नति पर	सीसीओ -सीसीए
2.	श्रीजित के वी निम्न श्रेणी लिपिक	3572	पदोन्नति पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
3.	राहुल टी राज निम्न श्रेणी लिपिक	8881	पदोन्नति पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
4.	मुहम्मद राफी एन बी निम्न श्रेणी लिपिक	5015	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्तालय
5.	अफसल पी के निम्न श्रेणी लिपिक	4515	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय,कोच्चि
6.	जूली मीना कर सहायक	-	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
7.	वत्सल मीना कर सहायक	-	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

8.	नोएल जियो बिनोय कर सहायक	-	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
----	-----------------------------	---	--------------------	--

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतिल

[पी.संतिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/अपील/कोयिक्कोड/तिरुवनंतपुरम

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. अधीक्षक((सिस्टम्स/हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
GEXCOM/II/3/29/2020-Estt दिनांक: 05.04.2022

आदेश सं. 42/2022

विषय: ड्राइवर (ग्रेड -I) के केडर में पदोन्नति - संबन्धित ।

निम्नलिखित ड्राइवर (ग्रेड -II) को इस के साथ वेतन मैट्रिक्स में 5वीं स्तर में (29,200-92,300 रुपये) और भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित ड्राइवर (ग्रेड -I) के केडर में उच्च पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम(श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	सत्यनारायणन	9067	सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय,कोचिन

2. उपरोक्त अधिकारी दिनांक 13.04.2022 तक पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा इस आदेश को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा ।

3. नियंत्रण अधिकारी / संबन्धित अधिकारी अधिकारी के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 18.04.2022 तक भेज देनी चाहिए ।

संतिल

[पी सेंटिल कुमार]

संयुक्त आयुक्त[का व सत]

प्रति :

सम्बन्धित व्यक्ति(सम्बन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त का कार्यालय, कोचिन

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(गोप.सतर्कता,मु.)/, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय. कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), सीसीपी मुख्यालय,कोचिन



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/24/2020-ESTT.

आदेश सं.: 41/2022

विषय : अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र -संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग के निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	कर्मचारी कोड	...से	... को
1.	निषा जयराजन	9509	पदोन्नति पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय
2.	अज़ीब चेन्नत	9579	पदोन्नति पर	(विमान पत्तन, कण्णूर), सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
3.	राजीव आर सी	4004	पदोन्नति पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय,कोच्चि
4.	सुधीर कुमार के	9055	पदोन्नति पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोयिक्कोड आयुक्तालय
5.	संदीप उणिक्कृष्णन	4564	सीसीओ -सीसीए	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय

- उपर्युक्त अधिकारी अपने नए तैनात स्थानों में दिनांक 13.05.2022 तक कार्यग्रहण कर्ण चाहिए ।
- नियंत्रण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभारमुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बादही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।
- यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
- अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 तक मिलनी चाहिए ।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं

प्रति

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई, कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के मंडल कार्यालयों, सीपीडी, लेखा परीक्षा सर्किलों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
8. सहायक निदेशक, डीजीजीआई, आंचलिक इकाई,
9. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीसीपी
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीसीपी
11. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीसीपी
12. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
13. महासचिव, एआईएससीटी, केरल इकाई



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT

दिनांक : 05.04.2022

स्थपाना आदेश सं.: 40/2022


विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2018'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 17.11.2021के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग/श्रवण बाधित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.Bदिनांक 15.09.2021 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार,श्री नीरज कुमार पाल को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्सके स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400)में दिनांक 29.03.2022 (पूर्वाहन)से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्व वृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की शर्तों पर नियुक्त किया जाता है।

2.श्री नीरज कुमार पाल को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है।

3.यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री नीरज कुमार पाल स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4.उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।


(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नीरज कुमार पाल,

सुपुत्र श्री गणेश प्रसाद पाल,

फ्लैट सं.502,सौम्य विहार अपार्टमेंट,

मनोरम नगर, लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद,

झारखण्ड - 826001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

दिनांक: 07.04.2022

आदेश सं.: 39/2022

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक के केंद्र में पदोन्नति-संबन्धित।

श्रीमती एस.लेखा, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक(सेवा निवृत्त) को ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800/- सहित 9,300-34,800 वेतन बैंड में नियमित आधार पर, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ग्रुप 'बी' पद के अधीक्षक के संवर्ग में दिनांक 14.11.2014 से और आगे के आदेश तक इस के साथ कल्पित पदोन्नति दी जाती है। फाइल सी सं. II/34/5/2014 एस्ट.दिनांक 09.01.2017 के द्वारा प्रकाशित दिनांक 0101.2014 की संशोधित वरिष्ठता सूची में अधीक्षक के केंद्र में उस की वरिष्ठता को श्रीमती वी रजनी के तुरंत नीचे और श्री यू बालन के ऊपर सौंपी गई है।

2. अधिकारी, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन, यदि कोई हो, के लिए हकदार है।

3. उपर्युक्त अधिकारी यह आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का जा. दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा।

4. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012, कैट (ई.बी.)में OAsं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबन्धित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

श्रीमती एस लेखा, निरीक्षक(सेवा निवृत्त),
'साईश्रुति' कूरा -46ए, वलि यूरकावु डाक,
कूटमविला लेन, ट्रिवेनड्रम, केरल -695013

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त,अपील, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोयिक्कोड, लेखा परीक्षा, सीमा शुल्क (निवारक)
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), तिरुवनंतपुरम
8. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोयिक्कोड, लेखा परीक्षा, सीमा शुल्क (निवारक)
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404



GEXCOM/II/7/1/2020-ESTT

दिनांक: 06.05.2022

स्थापना परिपत्र : 8/2022

बोर्ड से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.C/50/04/2018-Ad.II(Pt) दिनांक 04.04.2022	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए समूह 'क' के आईआरएस (सी व आईटी) अधिकारियों की सूचनाओं पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया - निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है।

True Copy

टो जो डेविज़/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

//अनुप्रमाणित /Attested //

अधीक्षक (प्र.)/ Supdt.(Admn.)

सेवा में

- कोच्चि आयुक्तालय के सभी समूह 'क' अधिकारी
- अधीक्षक (सिस्टम्स), मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
- सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

प्रति :


- अपर आयुक्त (मु.आ.का.), मु.कोच्चि - सूचना हेतु।

ह/-

[एस. सुरेश]

सहायक आयुक्त [का.व सत.]

I/656136/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/9/2021-Estt.

Dated: 29.06.2022

ORDER No. 63/2022

Sub: Postings as Air Customs Superintendent to Cochin International Airport, Nedumbassery – Reg.

The following transfer and posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect:

S.No	Name (S./Shri/Smt.)	From	To
1.	S.A. Madhu	Ernakulam Range - 2, Kochi	Cochin International Airport, Nedumbassery

2. The officer is posted to Cochin International Airport, Nedumbassery for a period of 2 (two) years from the date of joining the new place of posting.
3. The terms and conditions for selection and posting at Cochin International Airport, Nedumbassery as Air Customs Superintendent are as follows:
 - a. The officer posted at the Airport will be eligible to draw pay and allowances at the same rates admissible to them from time to time.
 - b. He shall be considered as on deputation to the Airport, but no deputation allowance is admissible to him.
 - c. Normally, the period of deputation at the Airport is 2 (two) years. However, an officer at the Airport can be reverted before completion of 2 (two) years without assigning any reason thereof.
 - d. The officer posted at the Airport will have make his own arrangement for residential accommodation.
 - e. The officer will also be entitled to draw uniform and diet allowance as admissible under rules.
 - f. In the event of his promotion to the higher grade, the officer will be liable to be reverted to his parent Commissionerate or posted

- anywhere as may ordered by the competent authority in this regard.
- g. He should join the new place of posting as ordered, failing which the posting order will be treated as cancelled.
4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 30-06-2022 11:21:36

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Customs, Custom House , Cochin**
2. **The Deputy/ Asst. Commissioner, Ernakulam Division.**
3. **The Deputy/Asst. Commissioner of Customs, Cochin International Airport, Nedumbassery.**
4. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Cochin/Custom House, Cochin.**
5. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Ernakulam Division/Custom House, Cochin**
6. **Superintendent (Confl/Vig), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Custom House, Cochin**
7. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
8. **The General Secretary, AIASCT.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/654417/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2022-ESTT

Date: .06.2022

ORDER NO. 62/2022

Sub: Transfer & Postings in the cadres of Head Havaldar -
 Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Head Havaldars of
 Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby
 ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Emp Code	Present Comm'te	Posted To
1	Shaji S., Head Havaldar	8517	Idukki Division	Hqrs, Kochi
2	Thomas Jackson M.J., Head Havaldar	8551	Hqrs, Kochi	Kakkanad Division

- The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by **08.07.2022**.
- Report compliance on 14.07.2022.
- Hindi Version follows.

Signed by Padmanaban
 Senthil Kumar
 Date: 29-06-2022 10:38:27

[P. Senthil Kumar]
 Joint Commissioner [P&V]

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned).

done
 18/07/2022

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kakkanad/ Idukki Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi/Kakkanad/ Idukki Division.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) - for uploading in the website.**
6. **Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
 E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT.

Date: .06.2022

ORDER No. 61/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Inspector -
 Central Tax, Central Excise & Customs,
 Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of
 Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	Noushad P.H.	7514	(UB, Karipur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Idukki Division)
2	Nishkarsh Sharma	9159	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Hqrs., Anti-Evasion Unit)
3	Prashant Chaudhary	9150	(Airport, Trivandrum), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	CCO-CCA
4	Jazeel M.C.		Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Hqrs., RTI)	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Hqrs., PRO with additional charge of Hqrs., RTI)
5	Jiten Mali		UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Hqrs., Verification Cell)

done
 18/07/2022

2. The above officers should join their new place of posting latest by 05.07.2022.
3. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
4. No representation shall be entertained from any officer before joining in his new place of posting.
5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
6. Report Compliance by 08.07.2022.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 29-06-2022 12:27:32

[Maneesh Kumar]

Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:


1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Ernakulam/Idukki Division.**
7. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/CCP.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi/CCP/ Idukki Division.**
9. **The Superintendent (Confli/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**

I/654655/2022

11. **The General Secretary, AICEIA, Kerala Circle.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT.

Date: 28.06.2022

ORDER No. 60/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of
 Superintendent - Central Tax, Central Excise &
 Customs, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	M. Suresh Kumar		CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Kattappana Range)
2	Biju M.R.	1465	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Idukki Division)	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Ernakulam Range-2)
3	Sasikumar P.	8417	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Kattappana Range with additional charge of Munnar Range)	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Munnar Range)
4	Thomas C.J.		ULCCS SEZ, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Kozhikode Commissionerate (Hqrs.)
5	Paul V.K.	8016	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Thrissur Division)	CCO-CCA

Done
 18/07/2022

I/654676/2022

2. The above officers should join their new place of posting latest by 05.07.2022.
3. Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
4. No representation shall be entertained from any officer before joining in his new place of posting.
5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
6. Report Compliance by 08.07.2022.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 29-06-2022 12:35:01

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Idukki Division.**
7. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Idukki Division.**
9. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **The General Secretary, AIASCT, Kerala Circle**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

बार्ड. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

Date: 24.06.2022

ORDER NO. 59/2022

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

In partial modification to Order No.4/2022 dated 11.01.2022, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered:

2. Shri. George Joseph, Assistant Commissioner will hold the charges which were held by Shri. S. Suresh, Assistant Commissioner except the charges of CRU and OLIC. Shri. Harrison Antony, Deputy Commissioner is assigned the charges of OLIC, Audit and additional charge of CAO. Smt. C.T. Bindu, Deputy Commissioner is assigned the charge of Systems, GST Cell and CRU. Shri. Roy Varghese, Assistant Commissioner is assigned the charge of Infrastructure, Welfare and Sports. Further, as per Office Order No.13/2022 (DGHRD/AC-DC/65/2022) dated 23.06.2022 of the Additional Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Smt. Shanthi V., Deputy Commissioner has been allocated the charge of Central Tax and Central Excise, Aluva Division and Smt. Ajitha P., Assistant Commissioner, has been allocated the charge of Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	George Joseph	Administration, P&V, Anti Evasion, Headquarters & Prosecution	C.T. Bindu	Shanthi V.

dove
18/7/2022

2.	Shanthi V.	Aluva Division, Technical, Parliament Questions, DGARM, RFD & Statistics	Harrison Antony	C.T. Bindu
3.	Harrison Antony	Legal, Audit, Verification Cell, RTI (CPIO), Training, OLIC & additional charge of CAO	George Joseph	C.T. Bindu
4.	C.T. Bindu	Adjudication, Review, Tax Arrear Recovery, SVLDRS, Systems, GST Cell & CRU	Shanthi V.	Harrison Antony
5.	Anil Raj R.	Ernakulam Division	Ajitha P.	Maya Kurian
6.	Ajitha P.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Shanthi V.
7.	Maya Kurian	Chalaky Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
8.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Kurian	N.S. Jayasree
9.	N.S. Jayasree	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Deepak Kumar
10.	Roy Varghese	Idukki Division, Infrastructure, Welfare & Sports	N.S. Jayasree	Ajitha P.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 24-06-2022 17:00:55

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central**

I/650669/2022

Excise, Kochi Commissionerate.

3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

बार्द. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

Date: 24.06.2022

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt

ORDER NO. 58/2022

Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

In partial modification of Order No.20/2022 dated 19.01.2022, the following changes in the work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

2. Shri. Shaji John, Joint Commissioner, will hold the charges which were held by Shri. S. Veeramuthu, Joint Commissioner, except the charge of DGARM. The supervision of Perumbavoor and Chalakudy Divisions along with adjudication and all legacy work of these divisions is also assigned to Shri. Shaji John, Joint Commissioner. Shri. J. Harish, Joint Commissioner is assigned the charge of DGARM.

3. Accordingly, the revised work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	Headquarters Preventive, Prosecution, Public Relations, Sports, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat; Supervision of Idukki Central Tax & Central Excise Division; Adjudication and all legacy work of this Division; Any other work assigned by the Commissioner.	P. Senthil Kumar, Joint Commissioner	J. Harish, Joint Commissioner

Done
18/07/2022

1/650643/2022

2.	Shaji John, Joint Commissioner	Audit, Tax Arrears Recovery, Training, Right to Information Act (RTI), Review, GST Seva Kendra; Supervision of Perumbavoor and Chalakudy Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	J. Harish, Joint Commissioner	P. Senthil Kumar, Joint Commissioner
3.	P. Senthil Kumar, Joint Commissioner	Establishment, Administration, Personnel, CRU, Bhavishya, Vigilance, Official Language, Systems, Systems Manager, Accounts, CPGRAMS, Verification Cell; Supervision of Thrissur and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	J. Harish, Joint Commissioner
4.	J. Harish, Joint Commissioner	Legal, CAT, Technical, Statistics & Intelligence, Parliament Questions, RFD, Adjudication Cell, DGARM; Supervision of Aluva and Ernakulam Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Shaji John, Joint Commissioner	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 24-06-2022 16:55:29

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

I/650643/2022


Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

1/654283/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/46/2021-Estt

Date: 23.06.2022

ORDER NO. 57/2022

**Sub: Regularisation of provisional allocation in the cadre of
Stenographer Grade-I - Reg**

As per Board's letter F.No.A.12034/SSC/15/2017-Ad.III(B) dated 07.06.2022, the provisional allocation of the following Stenographer Grade-I to Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby treated as regularised:

Sl No.	Name of officer	of Appointment with date	Order No.	Present posting	place of
1.	Omkar Singh	Order No. 76/2021 dated 11.10.2021		Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.	

2. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 28-06-2022 18:45:34

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To
The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.


Done
18/07/2022

I/654283/2022

2. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. **The Superintendent (Headquarters/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/3/2020-Estt

Date: 23.06.2022

ORDER NO. 56/2022

**Sub: Regularisation of provisional allocation in the cadre of
 Stenographer Grade-II - Reg**

As per Board's letter F.No.A.12034/SSC/15/2017-Ad.III(B) dated 07.06.2022, the provisional allocation of the following Stenographers Grade-II to Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby treated as regularised:

Sl No.	Name of officers	Appointment Order No. with date	Present place of posting
1.	Deepak Kumar	Order No.76/2020 dated 25.08.2020	Thiruvananthapuram Commissionerate
2.	Ashish Kumawat	Order No.77/2020 dated 26.08.2020	Kochi Commissionerate
3.	Renu Yadav	Order No.78/2020 dated 27.08.2020	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
4.	Ankit Kumar	Order No.25/2021 dated 17.02.2021	Kochi Commissionerate

2. Hindi version follows.

Signed by Padmaraban
 Senthil Kumar
 Date: 29-06-2022 10:40:52

[P. Senthil Kumar]
 Joint Commissioner [P&V]

Done
 18/07/2022

I/654421/2022

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Headquarters/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

Date: 22.06.2022

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT.

ORDER No. 55/2022

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone (Cadre Controlling Authority) has ordered the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./ Smt.)	Date of Birth	From	To
1.	Jiten Mali	10.09.1991	CGLE 2018 - New recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	Neeraj Kumar Pal	25.09.1989	CGLE 2018 - New recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3.	Pardeep Kumar	20.03.1991	CGLE 2012 Addl. allocation - New recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

- The above officers should join their place of posting immediately.
- Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
- No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

done
18/07/2022

I/650867/2022

5. Report compliance by **27.06.2022**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 24-06-2022 17:49:35

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/627847/2022

E-mail: cochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

Date: 06.06.2022

ORDER No. 53/2022

Subject: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In view of the heavy workload in Central Tax & Central Excise, Ernakulam Division and also for accomplishment of the targets fixed under 'Project Saadhit 2.0', the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi has ordered the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise with immediate effect.

Sl. No.	Name	Emplo Code	From	To
1.	Ar...	5	Chalakkudy Division	Ernakulam Division
2.	Lak...	1136	Kakkanad Division	Ernakulam Range 1
3.	S...	70	Headquarters PRO Section, Kochi	Ernakulam Range 2
4.	Pa...	1515	Petroleum Products Range	Ernakulam Range 4
5.	Je...	380	Perumbavoor Division	Ernakulam Range 5
6.	Je...	2496	RTI/Training, Hqrs. Kochi, (with additional charge of Headquarters PRO Section, Kochi)	Headquarters PRO Section, Kochi (with additional charge of RTI/Training, Hqrs. Kochi)

The above said officers are to be relieved immediately.

I/627847/2022

3. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.
5. Report compliance by **10.06.2022**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 06-06-2022 18:27:49

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)


Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copies to:

1. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
4. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
5. IT Cell – for Hindi Version.

I/618616/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

Date: 27.05.2022

ORDER No. 52/2022

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP - Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Employee Code	Name (S/ Shri/ Smt.)	Date of Birth	Remarks
1.	5510	Asha Giri	21.05.1974	on ad-hoc basis
2.	9057	Ramachandran M.K.	01.05.1967	on ad-hoc basis (in officiating capacity)
3.	8113	Jayanta Biswas (SC)	05.02.1975	on ad-hoc basis

1. The promotion order issued is subject to the condition that officers mentioned above should assume the higher post on or after 01.06.2022 and latest by 08.06.2022. Specific posting orders to the officers will be issued in due course.

2. The officer at Sl. No. 2 is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until his junior is promoted to the grade of Superintendent, after which the newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent

Done
18/07/2022

is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No. 998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 13.06.2022.
6. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 31-05-2022 15:42:13

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner, Appeals, Kochi.**
6. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
7. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kozhikode.**
9. **The Superintendent (Conf/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **MSM Cell – for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT.

Date: 12.05.2022

ORDER No. 51/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Superintendent - Central Tax, Central Excise & Customs, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	Sandeep Manikrishnan	4564	UOT to Kochi Commissionerate	Amballur Range, Chalakyudi Division

- The above officer should join his new place of posting latest by 20.05.2022.
- Controlling Officer shall ensure that the officer is relieved from his post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
- Report compliance on 23.05.2022.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 13-05-2022 17:31:06

[Maneesh Kumar]

done
18/7/2022

I/600452/2022

Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Chalakudy Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Chalakudy Division.**
4. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **The General Secretary, AIASCT, Kerala Circle.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/600466/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

Date: 12.05.2022

ORDER No. 50/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Superintendent – Central Tax, Central Excise & Customs, Kochi Commissionerate - reg.

The following officer in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise temporarily posted to achieve the targets fixed in the key areas identified under Project Saadhita, is hereby reverted to her original place of posting.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	Jayasree P.	8482	Adjudication Section, Hqrs., Kochi	Technical Section, Hqrs., Kochi

- The above officer should join the new place of posting immediately.
- Controlling Officer shall ensure that the officer is relieved from the post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
- Report compliance on 23.05.2022.

Done
18/07/2022

I/600466/2022

Signed by Maneesh Kumar
Date: 13-05-2022 17:33:14
[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Dy./Asstt. Commissioner of Central Tax & Central Excise incharge of Sections Technical/ Adjudication in Hqrs., Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) - for uploading in website.**
6. **The General Secretary, AIASCT, Kerala Circle.**
7. **Hindi Cell - for Hindi Version.**

I/594722/2022



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/59/2021-Estt.

Date: 10.05.2022

ORDER NO.49/2022

Sub: Promotion to the cadre of Lower Division Clerk – Reg.

The following Havaldars are hereby promoted to the cadre of Lower Division Clerk in Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900 - 63,200) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Employee Code	Present place of posting
1.	Rakesh K.R.	9869	Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate
2.	Sabna T.S.	9846	Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate
3.	Harikrishnan A.R.	9852	Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate

2. The officers should join the promoted post on or before **20.05.2022** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any,

done
18/07/2022

I/594722/2022

should be submitted in writing immediately. They will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officers/Officers concerned regarding joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **25.05.2022**.

4. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban
Senthil Kumar
Date: 10-05-2022 16:15:02

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Joint Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kakkannad Division.
2. The Superintendent (Vig./Systems/Headquarters)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi.
3. The CAO/PAO/AO(DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT.

Date: .05.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO. 48/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2012 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 28.04.2022, **Shri. Pardeep Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/2012-Ad.III.B dated 14.02.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from 29.04.2022 (F.N).

2. **Shri. Pardeep Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Pardeep Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated

done
17/7/2022

I/594858/2022

forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 10-05-2022 16:38:57

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. PARDEEP KUMAR,
S/O SHRI. RAMPHAL,
V.P.O-KALWA, PANA-KHANU,
TEH.-SAFIDON, DIST.-JIND,
HARYANA - 126113.


Copy submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (Systems) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/581016/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. प्रेस. रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

Date: 28.04.2022

ORDER No. 47/2022

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP - Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Employee Code	Name (S/ Shri/ Smt.)	Date of Birth	Remarks
1.	8445	Dinesh M.	21.12.1972	on ad-hoc basis
2.	8502	Resmi R.	20.05.1970	on ad-hoc basis (in officiating capacity)

- The promotion order issued is subject to the condition that officers mentioned above should assume the higher post on or after 01.05.2022 and latest by 09.05.2022. Specific posting orders to the officers will be issued in due course.
- The officer at Sl. No. 2 is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until her junior is promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity.
- The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No. 998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned

Done
17/7/2022

I/581016/2022

Courts/Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 16.05.2022.
6. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 28-04-2022 17:30:31

[Maneesh Kumar]

Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)


Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner, Appeals, Kochi.**
6. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
7. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Kochi.**
8. **The Administrative Officer (DDO), Hqrs., CCP.**
9. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Superintendent (Systems) - for uploading in website.**
11. **Hindi Cell - for Hindi Version.**

I/574024/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cew@cochi.nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-ESTT

Date: 22.04.2022

ORDER NO. 46/2022

**Sub: Promotion to the cadre of Assistant Sub-Inspector
 (Weapons)-Reg.**

The following Head Havaldar is hereby promoted to the cadre of Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, in Level-3 in the pay matrix (Rs.21,700-69,100) plus allowances may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the new post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Emp. Code	Present Commissionerate
1.	Rafiq S.A.	3126	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Cochin

2. The Officer should join the promoted post latest by **29.04.2022**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training, O.S dated 26.09.1981 and 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

Done
 17/7/2022

I/574024/2022

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 04.05.2022.

4. Hindi Version follows.

Signed by Padmanaban
Senthil Kumar
Date: 22-04-2022 17:13:28

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
6. The Commissioner of Customs, Custom House, Cochin.
7. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Deputy Commissioner (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
4. The Superintendent (System) – for uploading in website.
5. The Hindi Version.
6. The Group 'A' Central Excise Group 'A' Officers

I/567148/2022



NATION
TAX
MARKET

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोट्टिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/18/2020-Estt

Date: 18.04.2022

ORDER NO. 45/2022

**Sub: Transfer and postings in the cadres of Lower Division
Clerk/Tax Assistant – Central Tax and Central Excise,
Kochi Commissionerate - Reg.**

The following transfer and postings in the cadres of Lower Division
Clerk/Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./ Smt.)	Employee Code	Transferred	
			From	To
1.	Sreejith K.V., LDC	3572	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division
2.	Rahul T. Raj, LDC	8881	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Administration Section, Hqrs Kochi
3.	Jooli Meena, Tax Assistant	-	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi
4.	Noel Geo Benoy, Tax Assistant	-	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Verification Unit, Hqrs Kochi

done
17/7/2022

I/567148/2022

2. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban
Senthil Kumar
Date: 18-04-2022 15:43:04

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kakkanad Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-ESTT

Date: 18.04.2022

ORDER NO. 44/2022

Sub: Promotion to the cadre of Assistant Sub-Inspector (Weapons)-Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted to the cadre of Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, in Level-3 in the pay matrix (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the new post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Emp. Code	Present Commissionerate
1.	Prasannakumar	3138	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The Officer should join the promoted post latest by **26.04.2022**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training OMs dated 26.09.1981 and 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

Done
17/7/2022

I/568101/2022

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 29.04.2022.

4. Hindi Version follows.

Signed by Padmanaban
Senthil Kumar
Date: 19-04-2022 11:49:04

(P. Senthil Kumar)
Joint Commissioner (P&V)

To:


The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kozhikode/Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise Kozhikode /Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kozhikode /Kochi.**
4. **The Superintendent (System) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version**
6. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/18/2020-Estt

Date: 07.04.2022

ORDER NO. 43/2022

**Sub: Transfer and postings in the cadres of Lower Division
Clerk/Tax Assistant - Central Tax and Central
Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.**

The following transfer and postings in the cadres of Lower Division
Clerk/Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Kum./Smt.)	Employee Code	Transferred	
			From	To
1.	Sayona Augustine, LDC	8620	On promotion	CCO-CCA
2.	Sreejith K.V., LDC	3572	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
3.	Rahul T. Raj, LDC	8881	On promotion	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
4.	Muhammed Rafi N.B., LDC	5015	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
5.	Afsal P.K., LDC	4515	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi

dowe
17/7/2022

6.	Jooli Meena, Tax Assistant	-	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
7.	Vatsal Meena, Tax Assistant	-	On joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
8.	Noel Geo Benoy, Tax Assistant	-	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.
3. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban
Senthil Kumar
Date: 07-04-2022 15:25:59

[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To


The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Appeals/Kozhikode/Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2020-Estt

Dated: 05.04.2022

ORDER NO. 42/2022

Sub: Promotion to the cadre of Driver (Grade-I) – Reg

The following Driver (Grade-II) is hereby promoted to the cadre of Driver (Grade-I) in Level – 5 in the Pay Matrix (Rs. 29,200 - 92,300) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India from time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No	Name (Shri.)	Employee Code	Present Commissionerate
1.	Sathyanarayanan	9067	Customs Preventive Commissionerate, Cochin.

2. The officer should join the promoted post latest by **13.04.2022** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **18.04.2022**.

4. Hindi version follows.

Signed by Padmanaban
 Senthil Kumar
 Date: 06-04-2022 15:02:24

[P. Senthil Kumar]
 Joint Commissioner [P&V]

Done
 17/07/2022

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)


Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems/Headquarters)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), CCP Headquarters, Cochin.**

I/585845/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
 E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT.

ORDER No. 41/2022

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Superintendent - Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	Emp. Code	From	To
1	Nisha Jayarajan	9509	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
2	Azeeb Chennath	9579	On Promotion	(Airport Kannur), Commissioner of Customs (Preventive), Cochin
3	Rajeev R.C.	4004	On Promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi
4	Sudheer Kumar K.	9055	On Promotion	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
5	Sandeep Unnikrishnan	4564	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

- The above officers should join their new place of posting latest by 13.05.2022.
- Controlling Officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
- This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done
 17/07/2022

I/585845/2022

5. Report compliance on 16.05.2022

Signed by Maneesh Kumar
Date: 04-05-2022 13:10:33

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise/CPD/Audit Circle, Thiruvananthapuram Zone.**
8. **The Assistant Director, DGGI Regional Unit, Kozhikode.**
9. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.**
11. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.**
12. **The Superintendent (Systems) – for uploading inwebsite.**

I/585845/2022

13. **The General Secretary, AIASCT, Kerala Circle**
14. **Hindi Cell - for Hindi Version.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/55/2021-ESTT.

Date: 05.04.2022

ESTABLISHMENT ORDER NO. 40/2022

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2018 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 17.11.2021, **Shri. Neeraj Kumar Pal**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12034/SSC/02/ 2018-Ad.III.B dated 15.09.2021 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC/HH** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.03.2022 (F.N)**.

2. **Shri. Neeraj Kumar Pal** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Neeraj Kumar Pal** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further

reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 07-04-2022 10:26:22

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NEERAJ KUMAR PAL

**S/O MR. GANESH PRASAD PAL, FLAT NO. 502, SOUMYA VIHAR APARTMENT,
MANORAM NAGAR, LUBY CIRCULAR ROAD, DHANBAD, JHARKHAND - 826001.**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

Date: .04.2022

ORDER No. 39/2022

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

Smt. S. Lekha, Inspector (Retired) of Central Tax & Central Excise is hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, on regular basis, in the pay band of Rs. 9,300 – 34,800 (PB-2) with G.P. Rs. 4,800/- in pre-revised scale plus such allowances as may be applicable with effect from 04.11.2014 and until further orders. Her Seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Smt. V. Rajini and above Shri U. Balan in the revised Seniority List as on 01.01.2014 published vide C.No.II/34/5/2014 Estt. dated 09.01.2017.

2. The officer is entitled for arrears of pay, if any, for the period of notional promotion till the date of her retirement.
3. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M. dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final.
4. The promotion of the Inspector to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No. 998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.
5. Hindi version follows.

Dave
17/7/2022.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 07-04-2022 10:27:44

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

Smt. S. Lekha, Inspector (Retired),
'Saisruthi' Koorra-46A, Vattiyoorkavu P.O.,
Koottamvila Lane, Trivandrum, Kerala - 695013

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
5. The Commissioner, Appeals, Kochi.
6. The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/Kozhikode/Audit/CCP.
7. The Administrative Officer (DDO), Hqrs., Trivandrum.
8. The Superintendent (Confl/ Vig.), Thiruvananthapuram /Kochi/ Kozhikode/Audit/CCP.
9. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.
10. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/590510/2022



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-Estt

Date: 06.05.2022

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 8/2022

Attention is invited to the following letter received from the Board:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	F. No. C-50/04/2018-Ad.II (Pt) dated 04.04.2022	Procedure for processing notices of Group 'A' IRS(C&IT) officers for voluntary retirement - adhering to prescribed time-frame

Copy of the mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi commissionerate-www.cenexcisekochi.gov.in for information.

Signed by S Suresh

Date: 06-05-2022 15:29:58

[S. Suresh]

Assistant Commissioner [P&V]

To

1. All Group A officers in Kochi commissionerate.
2. The Superintendent (Systems), Hqrs Kochi - for uploading on website.
3. Notice Board, Hqrs Kochi.

Copy to:

1. The Additional Commissioner (CCO), Hqrs Kochi - for information.